समृद्धि के पथ पर कृषि और किसान

नरेन्द्र सिंह तोमर

(मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार)

कृषि क्षेत्र भारत की आधी श्रमशक्ति को आजीविका दिलाता है, लेकिन देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी लगभग 17 फीसदी ही है। कृषि लाभ का क्षेत्र बने, किसानों के घरों में सपन्नता आए और यह हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बने इसके लिए यह आवश्यक हो गया था कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारात्मक बदलाव किए जाएँ। हालांकि इन सुधारों की आवश्यकता तो एक लंबे कालखंड से महसूस की जा रही थी, लेकिन आजादी के साढ़े छह दशक व्यतीत हो जाने के बाद भी पूर्ववर्ती सरकारों का ध्यान कृषि सुधारों की ओर गया ही नहीं या फिर जानबूझ कर इस क्षेत्र की उपेक्षा की जाती रही। 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने और किसानों का जीवन खुशहाल करने की दिशा में किए गए सतत प्रयासों के सुखद परिणाम अब दृष्टिगोचर होने लगे हैं।

भारत सरकार ने हाल ही में कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन कानूनों में अहम बदलाव किए हैं। ये बदलाव किसानों को आर्थिक संपन्नता के साथ ही स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। इक्कीसवीं सदी के किसान आत्मनिर्भरता के साथ नवीन तकनीकी और व्यापक रूप से अपनी खेती कर पाएं, ये बदलाव इस दिशा में उठाए गए ठोस प्रयास हैं।

कृषि सुधार के लिए किए गए नवीन प्रावधानों के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर प्रायोजित तरीके से देश में भ्रम का वातावरण कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद बंद करने का डर दिखाया जा रहा है, तो साथ–साथ यह भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि मंडी से बाहर बिक्री करने पर किसानों को औने–पौने दामों पर अपनी उपज बेच कर संतोष करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य और इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ही अपनी बात रखना चाहूंगा। हमनें कई बार स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी इस पर खरीद जारी रहेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य का इन नए विधेयकों से कोई संबंध ही नहीं है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के विषय में सरकार पर सवाल उठाने वालों को यह जान लेना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद ही स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार उपज के लागत मूल्य में कम से कम पचास प्रतिशत लाभ जोड़ कर एमएसपी का निर्धारण किया जा रहा है। भारत सरकार 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार ने लगातार बुवाई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हैं।

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले छह वर्षों में काफी वृद्धि की गई है। खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान की बात करें, तो 2013–14 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1310 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि वर्ष 2020–21 में यह 1868 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस तरह धान के समर्थन मूल्य में 42.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह रबी की प्रमुख फसल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2013–14 में 1400 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि रबी के आगामी मौसम 2021–22 में 1975 रुपए प्रति क्विंटल कीमत घोशित की गई है। इस तरह गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 41.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गेहूं के लागत मूल्य पर 106 प्रतिशत का लाभ दे कर किसानों से अगामी मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को जो लाभ पिछले साढ़े छह वर्षों में प्राप्त हुआ है, उतना कभी नहीं मिला।

कृषि संबंधी कानूनों में परिवर्तन से किसानों को आजादी के बाद पहली बार बिचौलियों से मुक्ति मिली है। अब तक किसान स्थानीय मंडी में ही अपनी उपज बेचने को बाध्य था और देशभर की मंडियों में व्यापार कर रहे तकरीबन 30 से 40 हजार लायसेंसी व्यापारी ही उपज के दाम तय करते थे। किसानों को कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम 2020 के माध्यम से न केवल उपज के विक्रय की स्वतंत्रता मिली है, बल्कि आज के तकनीकी युग में ई–ट्रेडिंग के माध्यम से उपज बेचने का ज्यादा सुविधाजनक तंत्र भी मिला है। इस विधेयक के माध्यम से किसान टैक्स एवं परिवहन लागत बचाकर अपनी उपज पर ज्यादा लाभ भी अर्जित कर पाएगा। बार–बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि नए प्रावधानों से कृषि उपज विपणन समितियां यानी मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी। यहां एक बार पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कृषि उपज मंडियां पूर्ववत व्यापार करती रहेंगी। यह किसानों की स्वतंत्रता है कि वह मंडी में जाकर उपज बेचे या कहीं और। इन संशोधनों से मंडियों को भी अपने संसाधन विकसित करने का अवसर मिलेगा और किसानों को ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इसी तरह कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 का उद्देश्य कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों से सीधे जोड़ना है। कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उसकी उपज के दाम निर्धारित हो जाने से किसानों को प्रत्येक परिस्थिति में लाभकारी मूल्य मिलेंगे। यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि दाम बढ़ने पर किसान को इस कानून के तहत एवं करार की शर्तों के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि किसानों की जमीन उद्योगपतियों–कारोबारियों के हवाले हो जाएगी। जबकि सत्य यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसान और व्यापारी के मध्य सिर्फ उपज की कीमत के आश्वासन का करार होगा, यहां जमीन का कोई विषय ही नहीं है। किसान की जमीन पर कोई व्यापारी ऋण नहीं ले सकता है, न ही किसान की जमीन के विरुद्ध कोई वसूली की जा सकती है । यह कानून राज्यों के मौजूदा संविदा कृषि अधिनियमों से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से किसानों के हितों का संरक्षण करता है ।

नए प्रावधानों के अंतर्गत किसान को विक्रय के तीन दिन के भीतर उपज के भुगतान का प्रावधान किया गया है, तो वहीं साथ में विवाद की स्थिति में कोर्ट–कचहरी के झंझटों से मुक्ति दिलाने के लिए 30 दिन में स्थानीय स्तर पर ही विवाद के निपटारे की व्यवस्था भी की गई है। सरकार के इस कदम से किसानों को बुवाई से पहले ही उपज के मूल्य निर्धारित होने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार–चढ़ाव के जोखिम से तो सुरक्षा मिलेगी ही, उसे कृषि में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत खाद–बीज एवं उपकरण भी सुलभ हो सकेंगे।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज के वाजिब मूल्य मिलें और सुदृढ़ आपूर्ति श्रंखला की प्रबंधन प्रणाली के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को भी किफायती दामों पर उत्पाद सुलभ हो सके। सरकार के इस कदम से देश में कृषि उत्पादों की भंडारण एवं प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होना सुनिश्चित है। किसान की चिंता अब तक आलू–प्याज जैसी फसलों के खराब होने को लेकर रही है। नए प्रावधानों से किसान निश्चिंतता से ये फसलें उगा पाएगा। यहां भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि जमाखोरी बढ़ेगी और व्यापारी महंगाई बढ़ने पर उत्पाद बेच कर मुनाफा कमाएंगे। ये आशंका निर्मूल है, सरकार ने एक सीमा से अधिक कीमत बढ़ने पर पूर्व की तरह स्टॉक लिमिट का नियंत्रण अपने पास रखा है। सरकार ने अपनी शक्तियों का ज्यादा पारदर्शी ढंग से इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं करेगी, जिससे जमाखोरी बढ़े एवं उपभोक्ता परेशान हो। प्रधानमंत्री जी के सभी निर्णय सदैव गाँव, गरीब और किसान के हित में होते हैं। कृषि के क्षेत्र में प्रसंस्करण, भण्डारण, लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही है। सरकार के नए प्रावधानों से इन क्षेत्रों में निवेश तो आएगा ही, किसानों के लिए उचित लाभ मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए सकारात्मक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज खाद्यान्न में हमारी आत्मनिर्भरता सुखद भविष्य के संकेत दे रही है। वर्ष 2018–19 के खाद्यान्न उत्पादन के अंतिम आकलन के अनुसार भारत ने 285.21 मिलियन टन की कुल उत्पादन की उपलब्धि हासिल की है। वहीं 2019–20 के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन 296.65 मिलियन टन अनुमानित है जो अब तक का सर्वाधिक है। वर्ष 2020–21 में खाद्यान्न उत्पादन का कुल लक्ष्य 301 मिलियन टन रखा गया है।

अनाजों से भरे भंडार अब भारत को निर्यात एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दिशा में नए सौपान निर्मित करने का अवसर दे रहे हैं। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए सतत एवं ठोस प्रयासों का वांछित लाभ मिला है। कोविड–19 संकट और लॉकडाउन की परिस्थितियों के बावजूद अप्रैल से सितंबर 2020 की अवधि के दौरान आवश्यक कृषि वस्तुओं के निर्यात में 43.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लाख रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की है। यह कोष कृषि में एक नए युग की शुरूआत करने वाला साबित होगा। कृषि अधोसंरचना में आजादी के सात दशक बाद भी बने असंतुलन को खत्म कर इस धनराशि से ग्रामीण क्षेत्र में ही वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की वृहद श्रंखला स्थापित की जा सकेगी, साथ ही कृषि में निजी निवेश भी लाया जा सकेगा। हमने देश में दस हजार कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन का भी कदम उठाया है। एफपीओ के माध्यम से देश के 85 फीसदी छोटे और मझोले किसानों को न केवल उपज के लाभकारी दाम मिल सकेंगे, अपितु वे भी उन्नत कृषि से जुड़ सकेंगे।

वर्ष 2015 में बिहार के हजारीबाग में कृषि अनुंसधान संस्थान की नींव रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में दूसरी कृषि–क्रांति का आह्वान किया था। अवसर, परिस्थितियां और प्रयास यही स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को पूरा करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के मूल में भी कृषि और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था है। खाद्यान्न की कमी वाला देश, अब खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने वाला राष्ट्र बन गया है। अब समय है, किसानों को आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हुए कृषि को देश की अर्थव्यवस्था का एक सशक्त आधार स्तंभ बनाने का। प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयासों के बल पर हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि आने वाले कल में सम्पन्नता की सरिता गांवों और खेतों से होकर बहेगी। ■